कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष संरक्षण) मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, प्रथम तल, भोपाल

क्रमॉक/ एफ –19/2005 /10–10 /2528/ भोपाल : दिनांक 10/8/06

प्रति,

1– समस्त वन संरक्षक (क्षेत्रीय),
मध्यप्रदेश ।

2– समस्त वन मण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय),
मध्यप्रदेश ।

विषय :– वन अपराधों के प्रकरण में जप्त शुदा वाहनों को मध्यप्रदेश अभिवहन वनोपज अधिनियम 2000 के नियम 22 में संशोधन 16 मई, 2005 के अन्तर्गत प्रशमन की कार्यवाही ।

———

कतिपय प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा भारतीय वन अधिनियम की धारा 41–42 के अतिरिक्त वन अधिनियम के अन्तर्गत हुये वन अपराधों के प्रकरण में जप्त शुदा वाहनों को मध्यप्रदेश अभिवहन वनोपज अधिनियम 2000 के नियम 22 में संशोधन 16 मई, 2005 के अन्तर्गत प्रशमन की कार्यवाही करते हुये वाहनों को दस हजार रूपये के भुगतान पर मुक्त कर दिया जा रहा है ।

इस संबंध में मध्यप्रदेश अभिवहन वनोपज अधिनियम 2000 एवं मध्यप्रदेश वनोपज संशोधन अधिनियम 2005 के नियम 22 में निम्नानुसार प्रावधान है :–

22. नियमों को भंग करने पर शस्ति –

22 (1) जो कोई इन नियमों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है या प्राधिकार के बिना अथवा इन नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में अभिवहन पासों को जारी करता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रूपये तक हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

22 (2) ऐसे मामलों में, जहां अपराध सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व विधिपूर्ण प्राधिकारी के प्रतिरोध के लिये तैयारी के साथ किया जाता है, या जहां अपराधी पूर्व में ऐसे ही अपराध के लिये सिद्ध दोष ठहराया जा चुका है तो अधिरोपित की जाने वाली शस्ति, ऊपर उपनियम (1) में वर्णित शस्ति से दुगनी होगी ।

22 (3) " ऐसे मामलों में जहां, वनोपज जिसकी बावत अपराध किया गया है, सरकार की सम्पत्ति नहीं है या सरकार की संपत्ति होते हुए भी, ऐसी वनोपज का मूल्य एक हजार रूपये से कम हो और यदि अपराधी ने पहली बार अपराध किया हो, तब मामला, दस हजार रूपये की राशि या यान के मूल्य, जो भी कम हो, के भुगतान पर किसी अधिकारी द्वारा जो भी कम हो, के भुगतान पर किसी अधिकारी द्वारा जो सब डिवीजनल फारेस्ट आफीसर की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो, प्रशमन किया जा सकेगा । अपराध प्रशमन करने के पश्चात अपराधी के विरूद्ध कोई और कार्यवाई नहीं की जाएगी । अधिग्रहीत वनोपज केवल तभी निर्मुक्त की जा सकेगी, यदि वह सरकार की संपत्ति न हो या उसके मूल्य का भुगतान कर दिए जाने पर जैसी भी स्थिति हो ।

उपरोक्त नियमों में स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश अभिवहन वनोपज अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये किन्हीं भी नियमों के उल्लंघन की स्थिति में जैसा कि नियम 22 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, नियम 22.3 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रशमन की कार्यवाही की जा सकेगी । इस प्रावधान के अन्तर्गत भारतीय वन

अधिनियम की अन्य धाराओं के अन्तर्गत जप्त शुदा वाहनों का प्रशमन नहीं किया जा सकता, ऐसे वाहनों का प्रशमन इस नियम के अन्तर्गत करना नियम विरूद्ध है । अतः भविष्य में भारतीय वन अधिनियम की अन्य धाराओं के अन्तर्गत जप्त शुदा वाहनों का प्रशमन मध्यप्रदेश अभिवहन वनोपज अधिनियम 2000 के अन्तर्गत प्रशमन की कार्यवाही नहीं की जाये । संबंधित वन संरक्षक ऐसे प्रकरणों में समीक्षा करेंगे तथा समीक्षा कर यह सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह की नियम विरूद्ध कार्यवाही की पुनरावृति न हो ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)
मध्यप्रदेश भोपाल

पृ.क्रं.-	
पिछला	अगला